

## अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन
------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

( दिनांक 1.04.2018 से 30.9.2018 तक )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00	अकुशल	6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00
7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	कुशल	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00

( दिनांक 1.10.2018 से 31.03.2019 तक )

## स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणकों को राउण्ड अप करने की दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परियंत्र क्रमांक एक 9-7/2006/नियम/वा. दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकृत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दराई गई वेतन दरों पर लेकर व्यर्थ विंगला द्वारा निर्मित आद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उद्योगिक मूल्य सूचकांक 253(20001=100)जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पुष्ट क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एक 4(सी)-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उद्योगिक मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू होगी। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.6.2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर श्रमिकों के वर्गीकरण को अद्यतन किया गया है। (सूची संलग्न)
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

(सिजेश बहुगुणा)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

13

## अनुसूची -ब

किस्ती स्लैट वॉसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन

(दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक )

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10155.00	390.57	1125.00	43.27	11280.00	433.88	434.00	कटर्स	10155.00	390.57	1175.00	45.19	11330.00	435.77	436.00
9522.00	366.23	1125.00	43.27	10647.00	409.50	410.00	रोलर्स, मिस्त्री, पॉइल्सर्स	9522.00	366.23	1175.00	45.19	10697.00	411.42	411.00
6705.00	257.88	1125.00	43.27	7830.00	301.15	301.00	पेकर, मट्टीपेकर, सीपर	6705.00	257.88	1175.00	45.19	7880.00	303.08	303.00
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00	मजदूर	6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00
9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00

## स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिगला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के आधार पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता धोषित किया जावेगा। इस प्रकार अधिशुद्धित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किस्ती में कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किस्ती में दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(सजेश बहुगुणा)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

## किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित दरें	मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
------------------------------	--------------	----------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	----------	----------------------------------

प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

( दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक)

( दिनांक 1.10.2018 से 31.03.2019 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>लिपिकिय वर्ग</b>														
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	श्रेणी एक,	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00
9735.00	374.42	1125.00	43.27	10860.00	417.69	418.00	उच्च कुशल कुशल श्रेणी	9735.00	374.42	1175.00	45.19	10910.00	419.65	420.00
9685.00	372.50	1125.00	43.27	10810.00	415.77	416.00	श्रेणी एक	9685.00	372.50	1175.00	45.19	10860.00	417.69	418.00
9378.00	360.69	1125.00	43.27	10503.00	403.96	404.00	श्रेणी दो	9378.00	360.69	1175.00	45.19	10553.00	405.88	406.00
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	श्रेणी तीन	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
<b>अर्धकुशल श्रमिक</b>														
8435.00	324.42	1125.00	43.27	9560.00	367.69	368.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	1175.00	45.19	9610.00	369.65	370.00
7057.00	271.42	1125.00	43.27	8182.00	314.69	315.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	1175.00	45.19	8232.00	316.65	317.00
6500.00	250.00	825.00	31.73	7325.00	281.73	282.00	अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	875.00	33.65	7375.00	283.65	284.00

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(राजेश बहुगुणा)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर



## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/10/2018 से 31/03/2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./2015/पांच./2015/40381-581 दिनांक 28-3-2015 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 891 रहा है। गत छ: माही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 896 के नीचे (896-891) = -5 औसत बिन्दुओं की कमी हुई है तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित देय वेतन (30 दिन के मान से) पूर्व में दिनांक 1.4.2018 से जारी दरें यथावत रखी जा रही है। जो कि दिनांक 1.10.2018 से 31.3.2019 तक देय है। (अनुसूची द)

### अनुसूची -द

#### कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन

(दिनांक 1.04.2018 से 30.09.2018 तक )

(दिनांक 1.10.2018 से 31.3.2019 तक पूर्व 1.04.2018 में जारी दरें यथावत रखी गई हैं )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	768.00	25.60	6118.00	203.93	204.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	768.00	25.60	6118.00	203.93	204.00

#### स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता गुल्य सूचकांक 768 (1986-87 =100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़े के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रूपये के गुणाको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(राजेश-बहुगुणा)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर